



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270843
CG-DL-E-11032026-270843

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1206]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 1258(अ)—केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा 3(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 3670(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2025 के तहत मैसर्स टोटल मूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बारह माह की अवधि के लिए, अधिकतम सुरक्षित भार वजन / सकल वाहन भार और आयामों के साथ धुरी के संयोजन द्वारा सड़क मार्ग से उल्व जेटी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से रिलायंस नागोठाने, महाराष्ट्र तक मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों पर चार बड़े आकार के माल की खेपों के परिवहन के लिए मंजूरी दी थी।

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	ट्रेलरों की संख्या	पंजीकरण संख्या	निर्माण	ट्रेलरों की धुरी की संख्या	ट्रेलरों की पहियों की संख्या	ट्रेलरों के स्वीकृत/आरसी में उल्लिखित सकल वाहन भार (जीवीडबल्यू) (टन में)
7.	एमएच-46-बीएम-0171		गोल्डहोफर	6	48	156
8.	एमएच-46-बीएम-0172		गोल्डहोफर	3	24	78
9.	एमएच-46-बीएम-0173		गोल्डहोफर	3	24	78
10.	एमएच-46-बीएम-0175		गोल्डहोफर	4	32	104

[फा.सं. आरटी-11042/01/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
AMENDMENT

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 1258(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notification No. S.O. 3670(E), dated 11th August, 2025, had accorded approval to M/s Total Movement Pvt. for transportation of four over dimensional consignments on Modular Hydraulic Trailers, from Ulwe jetty, Navi Mumbai, Maharashtra to Reliance Nagothane, Maharashtra by road for the period of twelve months, by coupling of axles, with maximum safe laden weight/Gross vehicles Weight and dimensions.

2. In the said notification, in para 3, after serial No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axle in trailers	No. of tyres in Trailers	GVW Sanctioned/ Mentioned in RC of Trailers (in Ton)
7.	MH-46-BM-0171	GOLDHOFER	6	48	156
8.	MH-46-BM-0172	GOLDHOFER	3	24	78
9.	MH-46-BM-0173	GOLDHOFER	3	24	78
10.	MH-46-BM-0175	GOLDHOFER	4	32	104

[F. No. RT-11042/01/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.